<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>1.08.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 25/07/2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें विनोद तुकाराम खुटे, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित वीआईपीएस समूह की कंपनियों के मामले में लगभग **14 करोड़ रुपये** की संपत्ति कुर्क की गई है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के पुणे, धाराशिव, कोल्हापुर और सांगली जिलों में स्थित भूमि और फ्लैट के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने भारती विद्यापीठ स्टेशन, पुणे द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत विनोद खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीताम्बर अनारसे और अन्य के खिलाफ पोंजी/मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के नाम पर अत्यधिक रिटर्न का वादा करके 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र करके आम लोगों को धोखा देने/ठगने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

दुबई में रहने वाला विनोद खुटे, वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज, मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस, मेसर्स काना कैपिटल, रियल गोल्ड कैपिटल आदि के माध्यम से विभिन्न अवैध मल्टी-लेवल मार्केटिंग और पोंजी योजनाओं, अवैध व्यापार, फर्जी क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉलेट सेवाओं का मास्टरमाइंड है।

कुर्क की गई संपत्तियाँ विनोद खुटे के सहयोगियों के स्वामित्व में हैं, जो आम जनता को विनोद खुटे की फर्जी/अवैध योजनाओं/अवैध व्यापार और गतिविधियों में निवेश करने के लिए लुभाने और प्रलोभन देने में शामिल थे। विभिन्न फर्जी/छद्म संस्थाओं के माध्यम से एकत्रित धन को स्तरीकृत किया गया और अंततः नकदी के रूप में निकाला गया और क्रिप्टो/वर्चुअल एसेट्स में परिवर्तित करके या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई भेज दिया गया।

इससे पहले, इस मामले में, ईडी ने तलाशी अभियान चलाया था और अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे, जिसके परिणामस्वरूप विनोद खुटे और उनके रिश्तेदारों/सहयोगियों की भारत और दुबई में लगभग 75.42 करोड़ रुपये की विभिन्न बैंक बैलेंस, चल संपत्ति और अचल संपत्तियों को कुर्क/फ्रीज किया गया था। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/जब्ती 89.54 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।

****